<u>भारत का उच्चतम न्यायालय</u>

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारिता

दांडिक अपील कमांक 1522/2009

दयाराम तथा अन्य

अपीलार्थी (गण)

विरुद्ध

मध्य प्रदेश राज्य

प्रत्यर्थी

नि र्ण य

इंदु मल्होत्रा (न्यायमूर्ति)

- 1. अपीलार्थीयों द्वारा यह अपील मध्य प्रदे ा उच्च न्यायालय की जबलपुर खण्डपीठ द्वारा दांडिक अपील कमांक 206/1994 में दिनाँक 04/12/2008 को पारित निर्णय एवँ आदे ा द्वारा धारा —302 भा० दं० सं० के अंतर्गत दोशसिद्धि के आदे ा तथा आजीवन कारावास के दंडादे ा को चुनौती देते हुए प्रस्तुत की गई है। उच्च न्यायालय ने सत्र न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पुश्टि की है।
- 2. वर्तमान अपील मृतक घंसू द्वारा स्वयं दिनाँक 19/12/1991 को 04:20 बजे धारा 341, 323, 325, 307 सहपठित धारा 34 भा० दं० वि० के अंतर्गत दर्ज करवाई गई प्रथम सूचना प्रतिवेदन क्रमांक 86/1991 से उद्भूत हुई है।

अपनी प्र० सू० प्र० में घंसू यह कथित करता है कि दिनाँक 19/12/1991 को वह अपने पुत्र चंदू की अपीलार्थी कं० — 1 दयाराम यादव द्वारा पिटाई किए जाने के विरुद्ध ि ाकायत थाना ईसानगर में करने गया था। उसके थाने से लौटते समय लगभग 03 बजे दोनो अभियुक्त अर्थात दयाराम तथा परसू यादव नहर की पुलिया के पास झाड़ियों में छुपे थे। घात लगाकर बैठे दोनों अभियुक्तों ने मृतक के सिर, हाथ, पैर तथा भारीर पर लाठियाँ मारनी भुरू कर दी जिससे खून बहने लगा। घंसू बेहो । होकर गिर गया। अभियुक्तों ने घंसू को मरा समझकर उसके भारीर को नहर में फेंक दिया एवँ घटनास्थल से भाग गए। घंसू को पानी में

हो । आ गया और वह सहायता के लिए चिल्लाया। घंसू ने बताया कि अ० सा० — 9 चौदा चमार, ठाकुर सुनला कुमार, लूला कुम्हार तथा रामलाल कुम्हार घटनास्थल पर पहुँचे तथा उसे बचाया। घंसू ने बताया कि उसे पूरी तरह से खत्म करने के उद्दे य से ही पीटा गया था।

3. घंसू को ई ाानगर थाने पर ले जाया गया जहाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। उसके बाद, उसे उपचार हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ई ाानगर ले जाया गया।

दिनाँक 19/12/1991 को 04:55 बजे कार्यपालिक दण्डाधिकारी द्वारा घंसू के मृत्युकालिक कथन अभिलिखित किए गए, जो कि निम्नानुसार है:

"मैं, घंसू यादव पुत्र जुिधया यादव आयु लगभग—50 वर्श, पे 11—कृशि निवासी पहाड़गाँव भापथपूर्वक यह कथन करता हूँ कि जब मैं ई 11नगर से अपने गाँव वापस लौट रहा था, तभी दोपहर के समय, पहाड़गाँव में नहर की पुलिया के पास दयाराम और परसू पुत्र दरजू यादव, दानों भाइयों ने मुझ पर लाठियों से हमला किया।

इससे पहले भी, दयाराम ने मेरे पुत्र चंदू पर हमला किया था। मैं थाने में रिपोर्ट लिखवाने गया था। लेकिन, रिपोर्ट नहीं लिखी जा सकी। उसके बाद मैं अपने पुत्र चंदू के साथ लौट रहा था और तभी दयाराम एवँ परसू ने मेरे ऊपर हमला किया।"

घंसू का चिकित्यकीय परीक्षण अ० सा० — 14 डॉ० रमाकॉंत चतुर्वेदी द्वारा किया गया। जिन्होने प्रमाणित किया कि मृत्युकालिक कथन उनकी उपस्थिति में अभिलिखित किया गया था तथा अपना कथन देते समय घंसू पूरी तरह हो । में और समय व स्थान के प्रति सचेत था।

- 4. घंसू को उसकी गंभीर स्थिति के कारण जिला चिकित्सालय छतरपुर भेजा गया। चिकित्सालय में चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई।
- **5.**अ० सा० 17 डॉ० हरि अग्रवाल द्वारा मृतक का भाव—परीक्षण किया गया, जिन्होंने निम्नालिखित चोटें अभिलिखित कीः
 - (i) 1/2 इंच X 1/2 इंच की चोट दाँयी अग्रभुजा पर जिसके नीचे की हड्डी टुकडों में टूटी थी।
 - (ii) बाँई अग्रबाहू के निचले एक तिहाई मध्यवर्ती भाग पर नील के साथ चोट, जिसके नीचे की हड्डी टुकड़ों में टूटी थी।

- (iii) दाँए हाथ की तीसरी मेटाकार्पल हड्डी में 2 X 1 X 1 इंच गहरा घाव। दूसरी, चौथी व पाँचवी मेटाकार्पल हड्डी टूटी हुई थी।
- (iv) 2 X 1/2 इंच गहरा फटा हुआ घाव सिर पर जिसके नीचे की पैराइटल हड्डी टूटी हुई थी। सबड्यूरल तथ इपीड्यूरल हीमाटोमा पाया गया।
- (v) 1/2 इंच X 1/2 इंच गहरा फटा हुआ घाव दाँए पैर पर पाया गया।
- (vi) पैराइटल हड्डी टूटी हुई पाई गई।

चिकित्सकीय प्रतिवेदन में मृत्यु का कारण सिर पर चोट तथा अन्य चोटों के कारण उत्पन्न आघात अभिलिखित किया गया है।

6. सत्र न्यायधी । छत्तरपुर म० प्र० (सत्र न्यायालय) के समक्ष मामला प्रकरण कं० 20 / 1992 के रूप में संस्थित किया गया।

अ० सा० — 3 रामलाल, अ० सा० — 4 बलवंत सिंह, अ० सा० — 7 आ ाराम, अ० सा० — 8 अर्जुन, अ० सा० — 9 चौदा चमार तथा अ० सा० — 15 विजय सिंह ने अपने न्यायालयीन कथनों में घंसू के चीखने—चिल्लाने का भारि सुनना बताया हैं। वे नहर की ओर गए जहाँ घंसू उसके भारीर पर चोटों के कारण पड़ा हुआ था। घंसू ने अ० सा० — 4 बलवंत सिंह तथा वहाँ इकट्ठे अन्य लोगों को बताया कि दरजू नाटा (अभियुक्तों के पिता) ने उसके ऊपर हमला करवाया है।

अ० सा० — 3 एवँ अ० सा० — 4 ने पुलिस के समक्ष अपने कथनों में बताया है कि जब उन्होंने घंसू को नहर से निकाला तो घंसू ने उन्हें बताया कि इन्ही अभियुक्तों ने उसे लाठी से मारा है। अ० सा० — 3 एवँ अ० सा० — 4 कथनों की पुष्टि जाँचकर्ता अधिकारी अ० सा० — 11 द्वारा की गई।

तथापि, साक्ष्य के समय, अ० सा० — 3, 4, 7, 8, 9 और अ० सा० — 15 अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोशित किए गए।

7. सत्र न्यायालय द्वारा दिनाँक 05/02/1994 के निर्णय व आदे ा द्वारा अपीलार्थियों को भा० द० स० की धारा — 302 के अंतर्गत हत्या के अपराध में दोशसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया गया है।

सत्र न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया है किः

i) मृतक घंसू ने प्र० सू० रि० (प्रद ा पी०—20) लिखवायी थी जिसमें हमलावर के रूप में अपीलार्थियों को विर्निदिश्टतः उल्लेखित किया गया है। प्र० सू० रि० अ० सा० — 16 एन० डी० मिश्रा द्वारा अभिलिखित की गई, जिन्होंने प्रमाणित किया कि प्र० सू० रि० में मृतक के अंगूठे का नि ाान है।

ii) प्र० सू० रि० दर्ज करने के समय मृतक जागरूक अवस्था में था, जो कि अ० सा० — 14 डॉ० रमाकाँत चतुर्वेदी के चिकित्सकीय साक्ष्य द्वारा संपुष्टित है, जिनके अनुसार मृत्युकालिक कथन से संलग्न चिकित्सकीय प्रमाणपत्र सत्य व सही है।

प्र० सू० रि० मृतक की मृत्यु के 1 घंटा 15 मिनिट पूर्व अभिलिखित की गई। प्र० सू० रि० को मृतक के प्रथम मृत्युकालिक कथन के रूप में माना गया।

- iii) अ० सा० 19 कार्यपालिक दण्डाधिकारी के समक्ष मृतक द्वारा किए गए कथन को द्वितीय मृत्युकालिक कथन माना गया। यद्यपि द्वितीय मृत्युकालिक कथन पर मृतक के अंगूठे का चिन्ह नहीं लगा है किंतु इसकी विशयवस्तु मृतक के द्वारा ही लिखवाई गई प्र० सू० रि० के समान तथ समरूप है जिस पर मृतक के अंगूठे का नि ॥न लगा हुआ है।
- iv) अ० सा० 19 कार्यपालिक दंडाधिकारी द्वारा अभिलिखित मृत्युकालिक कथन तथा अ० सा० — 16 द्वारा अभिलिखित प्र० सू० रि० एक दूसरे से संगत तथ वि वसनीय है।
- v) सत्र न्यायालय ने अभियुक्त / अपीलार्थी क० —1 तथा अपीलार्थी कं०—2 को भा० दं० सं० की धारा— 302 के अंतर्गत दोशसिद्ध किया तथा उन्हें आजीवन कारावास के दंडादे । से दंडित किया है।
- 8. अपीलार्थियों द्वारा विचारण न्यायालय के दिनाँक 05/02/1994 को पारित निर्णय से क्षुब्ध होकर मध्य प्रदे । उच्च न्यायालय के समक्ष एक ही दांडित अपील कं० 206/1994 संस्थित की।
 - **8.1** उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय व आदे । दिनाँक 04/12/2008 के द्वारा अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज कर दिया तथा सत्र न्यायालय द्वारा पारित दोशसिद्धि के निर्णय व आदे । की पुष्टि की। उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि मृतक की मृत्यु मानव वध प्रकार की थी तथा सिर एवं भारीर के अन्य भागों में गंभीर उपहति के कारण कारित हुई थी।
 - 8.2 अ० सा० 19 कार्यपालिक दण्डाधिकारी तथा अ० सा० 14 डॉ० रमाकाँत चतुर्वेदी के न्यायालयीन कथनों से यह स्पश्ट है कि मृतक मृत्युकालिक कथन अभिलिखित किए जाने के समय सचेत था। अ० सा० 14 डॉ० रमाकाँत चतुर्वेदी द्वारा जारी

चिकित्यकीय प्रमाणपत्र, जोकि मृत्युकालिक कथन के नीचे संलग्न था, के अनुसार मृतक मृत्युकालिक कथन अभिलिखित किए जाने के समय पूरी तरह से हो । में था।

8.3 उच्च न्यायालय ने लक्ष्मण बनाम महाराष्ट्र राज्य में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का आश्रय लिया जिसमें इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है किः

"3....... जो अनिवार्यतः अपेक्षित है, वह यह है कि मृत्युकालिक कथन अभिलिखित करने वाले व्यक्ति को संतुश्ट होना चाहिए कि मृतक मन की स्वस्थ द ॥ में था। जहाँ दण्डाधिकारी के अभिसाक्ष्य से यह प्रमाणित हो जाता है कि घोशणा करने वाला कथन करने के लिए उपयुक्त द ॥ में है तो चिकित्सक द्वारा परीक्षण के बिना भी उस ह गोशणा पर कार्यवाही की जा सकती है किंतु तभी जबकि न्यायालय अंतिम रूप से उसका स्वैच्छिक व सत्य होना अभिनिर्धारित करे। चिकित्सक द्वारा प्रमाणीकरण आव यक रूप से सावधानी का एक नियम है और इस प्रकार घोशणा की स्वैच्छिक व सत्य प्रकृति अन्यथा भी स्थापित की जा सकती है।" (बल दिया गया)

8.4 उच्च न्यायालय द्वारा यह पाया गया कि अ० सा० – 16 के समक्ष मृतक द्वारा दर्ज करवाई गई प्र० सू० रि० के कथन तथा अ० सा० – 19 कार्यपालिका दण्डाधिकारी द्वारा अभिलिखित मृत्युकालिक कथन में कोई भी असंगति नहीं थी।

दोनों मृत्युकालिक कथनों का आधार इस बात के अनुरूप रहा कि दोनों अपीलार्थियों ने मृतक पर ई ाानगर थाने से लौटते समय उसके सिर, हाथ व पैर पर लाठियों से हमला किया था।

मृत्युकालिक कथन की संपुष्टि चिकित्सकीय साक्ष्य से हुई कि अपीलार्थियों ने मृतक को गंभीर चोटें पहुंचाई जिससे उसकी मृत्यु कारित हुई।

उच्च न्यायालय अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज करते हुए, भा० दं० सं० की धारा — 302 के अंतर्गत उनकी दोशसिद्धि तथा आजीवन कारावास के दंडादे । की पुष्टि की। 9. अपीतार्थियों द्वारा मध्य प्रदे ा उच्च न्यायालय के आदे ा दिनाँक 04/12/2008 के निर्णय व आदे ा के विरूद्ध एक ही वि शि अनुमित याचिका प्रस्तुत की गई। अपील की अनुमित दिनाँक 13/08/2009 के आदे । द्वारा प्रदान की गई।

10. निश्कर्श तथा वि लेशणः –

हमने प्रकरण के अभिलेख का सावधानीपूर्वक परि गिलन तथा पक्षकारों के अधिवक्ताओं द्वारा किए गए निवेदनों पर विचार किया है।

10.1. अभियोजन द्वारा अपराध का हेतुक मृतक के मृत्युकालिक कथन तथा अ० सा० – 6 मृतक के पुत्र के कथन से स्थापित किया गया। अ० सा० – 6 चंदू ने कथन किया है कि घटना दिनाँक को अभियुक्त / अपीलार्थी क्रमांक – 1 दयाराम ने उसे गाली दी और पीटा तथा इसके बाद उसने उसे मारने के लिए कुल्हाड़ी उठा ली, तब वह भाग गया। हमला इसलिए किया गया क्योंकि चंदू की भैंसे अपीलार्थी कं – 1 दयाराम की भैसों के साथ मिल गई थी। इस के बाद अ० सा० – 6 चंदू अपने पिता घंसू के साथ ई ाानगर थाने में रिपोर्ट लिखवाने गया। थाने से लौटते समय, अपीलार्थी कं० – 1 ने उसके पिता के सिर पर लाठी से वार किया, जबिक अपीलार्थी ने सुल्लू तथा अन्य लोगों को घटना के बारे में बताने के लिए दौड़ लगा दी।

अ० सा० – 6 चंदू घटना स्थल पर लौटा और अपने पिता घंसू को खाट पर पड़ा हुआ तथा सुल्लू और अ० सा० – 4 बलवंत सिंह से घिरा हुआ देखा, तब वे उसे ई गानागर थाने ले गए।

हमले के पीछे का उद्दे य अ० सा० - 6 चंदू के साक्ष्य से स्थापित हुआ।

- 10.2. प्र० सू० रि० मृतक द्वारा लिखवाई गई थी जिस पर उसके अंगूठे का नि गान है। प्र० सू० रि० को मृतक का पहला मृत्युकालिक कथन माना जाता है।
- 10.3. मृतक को प्राथमिक स्वास्थ्य केंन्द्र ई ाानगर में भर्ती करवाया गया। मृतक ने अपना दूसरा मृत्युकालिक कथन अ० सा० 19 कार्यपालिक दण्डाधिकारी के समक्ष दिया।
- 10.4. अभियोजन साक्षी क्रमांक 3, 4, 7, 8, 9 एव 15 के मुख्य परीक्षण में अभिलेखित है कि घटना दिनाँक को उन्होंने मृतक के चिल्लाने की आवाजें सुनी थी। मृतक को नहर में ६ ॥यल अवस्था में पड़ा पाया गया। मृतक ने उन्हें हमलावरों द्वारा मारने के बारे में बताया। ये अभियोजन साक्षी मृतक को चिकित्सालय ले गए।

उनके मुख्य परीक्षण से यह स्पश्ट है कि मृतक सचेत तथ प्र० सू० रि० लिखवाने की स्थिति में था। अपने प्रति— परीक्षण में इन साक्षियों ने मृतक पर हमला करने वाले व्यक्तियों के बारे मे जानकारी होने से इंकार किया है। उन्हें उनके प्रतिपरीक्षण के दौरान पक्षद्रोही घोशित किया गया। प्रति—परीक्षण से पूर्व के अभिसाक्ष्य पर विवास किया जा सकता है।

इस न्यायालय के भगवान सिंह बनाम हिरयाणा राज्य, रवींद्र कुमार डे बनाम उड़ीसा राज्य तथा सैयद अकबर बनाम कर्नाटक राज्य के विनि चयों का आश्रय लिया गया जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य को केवल इसलिए पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता कि अभियोजन साक्षी पक्षद्रोही हो गए हैं। ऐसे साक्षियों के साक्ष्य को अभिलेख से पूर्णरूप से मिटाया या साफ हुआ नहीं माना जा सकता बल्क उसे उस सीमा तक स्वीकार किया जा सकता है जहाँ तक कि उनका संस्करण सावधानीपूर्ण संवीक्षा के प चात वि वसनीय पाया जाऐ।

इस न्यायालय द्व*ारा <u>खुज्जी बनाम म० प्र०</u> राज्य* में निर्णय के पैराग्राफ क्रमांक — 6 में अभिनिर्धारित किया कि: —

"6...... अ० सा० — 3 कि ानलाल तथा अ० सा० — 4 रमे ा का साक्ष्य विचारण न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया क्योंकि उन्हें उनके द्वारा कटघरे में मृतक के हमलावरों के रूप में अपीलार्थी तथा उसके साथियों को पहचानने से इंकार किए जाने के कारण विद्वान लोक अभियोजक द्वारा अभियोजन के प्रति पक्षद्रोही घोशित किया गया था किंतु राज्स की ओर से अधिवक्ता का यह कहना सही है कि किसी पक्षद्रोही घोशित साक्षी का साक्ष्य अभिलेख से पूर्णतः नहीं मिटता है तथा उस साक्ष्य के ऐसे भाग पर, जो कि अन्यथा स्वीकार्य हो, कार्यवाही की जा सकती है।" (बल दिया गया)

विधि की यह प्रास्थिति <u>विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य</u> में पुनः दोहराई गई, जिसमें न्यायालय द्वारा अभिलिनिर्धारित किया गया किः

"31. अगला पहलू जिस पर ध्यान दिया जाना आव यक है वह यह कि क्या किसी पक्षद्रोही साक्षी के अभिलेख पर आए हुए अभिसाक्ष्य पर वि वास किया जाना चाहिए या नहीं। अपीलार्थी की ओर से विद्वान वरिश्ठ अधिवक्ता श्री जैन दावा करेंगे कि चूँकि अ० सा० – 7 अपने प्रतिपरीक्षण में पूरी तरह से मुकर गया है, इसलिए उसका साक्ष्य संपूर्ण रूप से अस्विकार करना होगा। उक्त साक्षी के अभिसाक्ष्य के परि गिलन से यह स्पश्ट है कि अपने मुख्य परीक्षण में उसने पूरी अभियोजन कहानी का समर्थन किया है तथा उसके प्रति—परीक्षण में उसने वाक्छल का मार्ग अपना लिया है। भगवान सिंह बनाम हरियाणा राज्य के प्रकरण में यह निर्धारित किया गया कि भले ही किसी साक्षी को पक्षद्रोही साक्षी के रूप में चिन्हित किया गया हो किंतु उसका साक्ष्य पूर्णरूप से मिटता नहीं है। उक्त साक्ष्य विचारण में ग्राह्य है तथा उसके अभिसाक्ष्य के आधार पर दोशसिद्धि करने में कोई कानूनी बाध्यता नहीं है, जबकि वह किसी अन्य वि वसनीय साक्ष्य द्वारा संपुश्ट हो।" (बल दिया गया)

मृतक द्वारा प्र० सू० रि० भीघ्रितापूर्वक लिखवाई गई। मृतक के कथनानुसार, घ ाटना 3:00 बजे भाम को घटित हुई तथा मृतक द्वारा प्र० सू० रि० 04:20 बजे भाम को लिखवाई गई। थाने तथा घटनास्थल के बीच की दूरी लगभग 4 कि० मी० है। प्र० सू० रि० भीघ्रितापूर्वक लिखवाई गई तथा प्र० सू० रि० में अपीलार्थियों के नाम उनके हथियारों के विवरण सहित उल्लेखित किए गए।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा — 32 (1) के अनुसार, प्र० सू० रि० को मृत्युकालिक कथन माना जाना चाहिए।

<u>धरमपाल तथा अन्य बनाम उ० प्र० राज्य</u> के प्रकरण में यह अभिनिर्धारित किया गया कि:

"17......मृतक द्वारा लिखवाई गयी रिपार्ट मृत्युकालिक कथन के रूप में ग्राह्य किए जाने हेतु सभी तत्वों की पूर्ति करती है। इस पक्ष का नि चय करने हेतु, हम मृत्युकालिक कथन से सबंधित कुछ सामान्य प्रस्थापनाओं का उल्लेख कर सकते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा — 32 (1) मृत्युकालिक कथन के संबंध में बताती है तथा यह अधिकाथित करती है कि जब किसी व्यक्ति द्वारा कोई कथन अपनी मृत्यू के कारण के बारे में या उस संव्यवहार की किसी परिस्थिति के बारे में किया गया है, जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई, तब ऐसा कथन ऐसे प्रत्येक प्रकरण या कार्यवाही में सुसंगत है जहाँ उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्र नगत हो। इसके अतिरिक्त, ऐसे कथन सुसंगत है चाहे उस व्यक्ति को, जिसने उन्हें किया है, उस समय जब वे किए गए

थे, मृत्यु की प्रत्या ांका थी या नहीं और चाहे उस कार्यवाही की, जिसमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्र नगत होता है, प्रकृति कैसी ही क्यों न हो।

18.....मृत्युकालिक कथन के साक्ष्य में ग्राह्य होने का सिद्धांत, सूत्र "Nemo Moriturus Praesumitur Mentire" में निर्दिश्ट है जिसका अर्थ है – कोई मनुश्य अपने सृजनकर्त्ता से उसके मुख में झूठ के साथ नहीं मिलेगा। इस प्रकार यह स्पश्ट है कि कोई मृत्युकालिक कथन संबंधित हो सकता है: –

- a. मृतक की मृत्यु के कारण के बारे में
- b. ऐसे संव्यवहार की किसी भी परिस्थिति के बारे में जिसके फलस्वरूप मृतक की मृत्यु हुई हो।"

"20......उपरोक्त प्रस्थापनाओं के प्रका । में यदि हम मृतक द्वारा लिखवाई गई रिपोर्ट को देखें तो यह प्रकट होता है कि अभियुक्तों के नाम तथा प्रकरण की मुख्य वि ।श्टियाँ रिपोर्ट में स्पश्ट रूप से उल्लिखित की गई है। इसमें मृतक द्वारा उसकी मृत्यु के कारण के बारे में वृत्तांत समाविश्ट है, जो कि प्रत्यक्षद र्गि साक्षियों के अभिसाक्ष्य तथा अभिलेख पर उपलब्ध चिकित्सकीय साक्ष्य से पूर्णतः संपुश्ट है।" (बल दिया गया)

प्रति—परीक्षण के पूर्व के अ० सा० — 3, अ० सा० — 4, अ० सा० — 7, अ० सा० — 8, अ० सा० — 9 तथा अ० सा० — 15 के अभिसाक्ष्यों और चिकित्यालय में मृतक का मृत्युकालिक कथन अभिलिखित करने वाले कार्यपालिक दंडाधिकारी अ० सा० — 19 एवं अ० सा० — 14 डॉ० रमाकांत चतुर्वेदी के साक्ष्य से यह स्पश्ट है कि मृतक हो । में तथा मृत्युकालिक कथन करने की स्थिति में था।

मृतक द्वारा दर्ज करवाई गई प्र० सू० रि० में दोनों अपीलार्थियों के नाम हमलावरों के रूप में स्पष्टतः कथित है तथा उसमें घटना का स्पष्ट विवरण भी दिया गया है।

10.5. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि अ० सा० – 19 कार्यपालिक दण्डाधिकारी द्वारा अभिलिखित द्वितीय मृत्युकालिक कथन पर मृतक के अंगूठे का नि ॥न न लगा होने से उस पर वि वास नहीं किया जा सकता। अ० सा०

-19 कार्यपालिक दण्डाधिकारी ने कथन किया कि हस्ताक्षर या अंगूठा नि ाानी नहीं लिए जा सके क्योंकि मृतक के दोनों हाथों में चोटें थी। अ० सा० - 17 डॉ० हरि अग्रवाल ने मृतक के भारीर का भाव परीक्षण किया।

इस न्यायालय द्वारा सुकांति मोहराना बनाम उडिसा राज्य के निर्णय का आश्रय लिया गया है जिसमें न्यायालय ने यह दृष्टिकोण लिया कि कोई मृत्युकालिक कथन, जो कि अन्यथा सत्य, स्वैच्छिक एवँ सही पाया जाए को केवल इसलिए खारिज करने का कोई कारण नहीं है कि मृत्युकालिक कथन अभिलेखित करने वाला व्यक्ति उस पर अपने हस्ताक्षर या अंगूठे का नि ॥ नहीं लगा पाया।

11. मृतक द्वारा किए गए दो मृत्युकालिक कथन, जो कि एक—दूसरे से संगत है, समेत साक्ष्य को संपूर्णता में तथा चिकित्सकीय साक्ष्य से संपुश्ट चक्षुद ीं साक्ष्य पर विचारोंपराँत, हम इस बात से संतुश्ट है कि अभियोजन ने प्रकरण को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित कर दिया है। हम उच्च न्यायालय एवँ सत्र न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पुष्टि करते हैं।

पूर्वोक्त तथ्यों के मद्देनजर, यह अपील असफल होती है तथा एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

> इंदू मल्होत्रा (न्यायमूर्ति) आर० सुभाश रेड्डी (न्यायमूर्ति)

नई दिल्ली 7 नवंबर 2019.

अस्वीकरणः— स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक एवं कार्यालयीन प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा एवं निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ क्षेत्र धारित करेगा।